रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 1985/माघ 11, 1906
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 1985/MAGHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 2-ई टी सी (पी एन)/85

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1985

विषय:--1984-85 के दौरान ज्वार और मोटे अनाजों की निर्यात नीति।

मि.सं. 40(47)/84-ई-2:--उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ०, 1977/ए एम (296), दिनांक 31 जनवरी, 1985 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया गया है कि ज्वार और मोटे अनाज के निर्यात को भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि० (नैफेड) द्वारा मार्गीकृत किया जाए। यह भी निश्चय किया गया है कि प्राइवेट पार्टियों को भी नैफेड के सहयोगियों के रूप में 1984-85 के दौरान ज्वार और मोटे अनाज का निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु यह अनुमति उनके निजी नाम में उनके लिए निर्धारित कोटों के मद्दे निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:--

(1) निर्यात की अनुमति नैफेड के साथ पंजीकृत, 100 प्रतिशत अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा समर्थित ठेकों के मद्दे 'पहले आए, पहले पाए' के आधार पर दी जाएगी। नैफेड द्वारा जिस विशेष दिन आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उसी हिसाब से उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) नैफेड द्वारा लगाया जाने वाला सेवा खर्च 10.00 रुपये प्रति टन से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) नैफेड द्वारा प्राइवेट पार्टियों को कोटा आबंटित करने के बाद निर्यात की अनुमति पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोतपरिवहन बिलों पर पृष्ठांकन करके दी जाएगी।

(4) प्राइवेट व्यापार के लिए निर्धारित मात्रा समाप्त होते ही नैफेड आगे के लिए ठेकों का पंजीकरण

करना/आगे प्राधिकार पत्र जारी करना बंद कर देगा ।

(5) निर्यात नैफेड द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त के अधीन होगा ।

(6) नैफेड इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के तिथि से 15 दिनों के बाद ही, आवेदनपत्र प्राप्त करना आरम्भ करेगा ।

(7) नैफेड इस बात का सुनिश्चय करेगा कि ज्वार और मोटे अनाजों के बीज को निर्यात करने की अनुमति न दी जाए ।

3. नैफेड निर्धारित सीमा (सीलिंग) की मात्रा पर नियंत्रण रखेगा और इस बात का सुनिश्चय करेगा कि ज्वार और मोटे अनाजों के निर्यात क्रमशः प्राइवेट पार्टियों और नैफेड के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक न हों ।

4. नैफेड पोतलदान के लिए अनुमेय मात्रा, निर्यातक का नाम, मूल्य और गन्तव्य स्थान को दिखाते हुए एक मासिक विवरण वाणिज्य मंत्रालय (ई पी एग्री. 2 प्रभाग) को भेजेगा और उसकी एक प्रति इस कार्यालय के सांख्यिकी निदेशक को भेजेगा ।

5. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति पुस्तक, 1984-85 (खंड-2) के पृष्ठ 16 पर नीति विवरण की क्रम सं० 20घ के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रम सं० 20ङ और 20च के रूप में जोड़ी जाएगी :—

अनुसूची 1, मद का विवरण भाग ख में क्रम सं०		लाइसेंस नीति
20ङ	ज्वार	निर्यात नैफेड के माध्यम से सारणीबद्ध (अनुबंध 1 देखें)
20च.	मोटा अनाज	निर्यात नैफेड के माध्यम से सारणीबद्ध (अनुबंध 1 देखें)

6. आयात-निर्यात नीति पुस्तक, 1984-85 (खंड 2) के पृष्ठ 32 पर अनुबंध-1 की क्रम सं० 1-क के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रम सं० 1-ख और 1-ग के रूप में जोड़ी जाएगी:—

क्रम सं०	मद	निर्यात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण	सारणीबद्ध एजेंसी
1—ख	ज्वार	ख. 20ङ	नैफेड
1-ग	मोटा अनाज	ख. 20 च	नैफेड

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY
EXPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 2-ETC(PN)/85
New Delhi, the 31st January, 1985

Subject : Export Policy of Jowar and Ragi during 1984-85.

F. No. 40(47)/84-EII. - Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O 1977/AM(296) dated the 31st January, 1985 on the above subject.

2. It has been decided to canalise export of jowar and Ragi through the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED). It has also been decided that within the overall canalisation policy private parties will also be allowed to export Jowar and Ragi during 1984-85 as Associates of NAFED but in their own names against the quotas earmarked for them subject to the following conditions :

(i) Export will be allowed on first-come, first-served basis against contracts backed by 100% irrevocable Letter of Credit to be registered with NAFED. Applications received by NAFED on any particular day will have the same priority.

(ii) The Service Charges to be levied by NAFED should not be more than Rs. 10 per tonne.

(iii) After quotas have been allocated to private parties by NAFED export will be permitted by the Port Licensing Authorities by making endorsement on Shipping Bills.

(iv) As soon as the quantities earmarked for private trade are exhausted NAFED would stop further registration of contracts/issuing further authorisations.

(v) Export will be subject to minimum export price fixed by NAFED.

(vi) NAFED will start receiving applications only 15 days after the date of issue of this Public Notice.

(vii) NAFED will ensure that seeds of Jowar and Ragi are not allowed for export.

3. NAFED would monitor the ceilings and ensure that export of Jowar and Ragi does not exceed the quantities earmarked for private trade and the NAFED respectively.

4. NAFED will send a monthly statement showing the quantity allowed for shipment name of exporter value and destination to the Ministry of Commerce (EP AGRI. II Division) with a copy to the Director of Statistics of this office.

5. Accordingly the following entries shall be added as S. No. 20E ; 20F after S. No. 20D of the Policy Statement at page 16 of the Import and Export Policy Book 1984-85 (Vol. II).

S. No. as in Part 'B' Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
20E	Jowar	Export can lisoed through NAFED (See Annexure I).
20F	Ragi	Export canalised through NAFED (See Annexure I).

6. The following entries shall be added as S. No. 1-B and 1-C after S. No. 1-A of Annexure I at page 32 of the Import and Export Policy Book 1984-85 (Vol. II).

S. No.	Item	E.T.C. Classification	Canalising Agency
1-B	Jowar	B.20E	NAFED
1-C	Ragi	B.20F	NAFED

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985